



आज़ादी का  
अमूल्य महोत्सव

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA  
उप-कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़)  
Sub-Office, Shimla (Regional Office, Chandigarh)  
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, शिवालिक खण्ड, लॉंगवुड  
CGO Complex, Shivalik Khand, Longwood  
शिमला, हिमाचल प्रदेश-171001  
Shimla, Himachal Pradesh - 171001



ईमेल/Email : iro.shimla-mefcc@gov.in  
दूरभाष/Tel.0177-2658285,  
फैक्स/Fax: 0177-2657517

दिनांक. .11.2023

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)  
हिमाचल प्रदेश सरकार  
आर्म्सडेल बिल्डिंग, शिमला।

(E-mail: forestsecy-hp@nic.in)

विषय:

**Diversion of 1.8686 ha of forest land in favour of Director of Technical Education, Vocational & Industrial Training, HP, for the construction of Govt. Polytechnic College, within the jurisdiction of Ani at Luhri Forest Division, District Kullu, H.P. (Online Proposal no. FP/HP/Others/147489/2021)**

सन्दर्भ:

**Online proposal no:- FP/HP/Others/147489/2021 reply received on 11.05.2023.**

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से संदर्भांकित पत्र की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए 1.8686 हेक्टेयर वन भूमि की मांग की गई है।

2. राज्य सरकार द्वारा इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 11.05.2023 के अनुपालन में भेजा गया स्पष्टिकरण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, अतः प्रस्ताव के क्रमांक -2 से सम्बंधित निम्नलिखित जानकारी भेजने का कष्ट करें:-

1. Upon perusal of KML and component wise breakup (B-2.4), it is found that the some of the component mark in the KML (Boys and Girl hostel etc.) is not matching with the component wise breakup B.2.4. Therefore, State Govt. shall mark all the component in the KML in distinct colours with legend in polygon shape and area of component should be same as mentioned in component wise breakup. Also, add all the component in the component wise breakup respectively in Forest and Non-forest land.

यह चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 30 दिनों के भीतर इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी की जा रही है।

Signed by

Raja Ram Singh

Date: 25-11-2023 20:22:46

भवदीय,

ह 0/-

(राजा राम सिंह)

उप-वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. नोडल अधिकारी-सह-अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.), हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग, टालैंड, शिमला (E-mail: nodalfcahp@yahoo.com).

Endst. No. \_\_\_\_\_ Dated Rampur \_\_\_\_\_

Copy is forwarded to DFO Ani for information and further necessary action. He is requested to attend the observation at the earliest under intimation to this office.

Divisional Forest Officer(HQ)  
O/o Chief Conservator of Forests  
Rampur Bsr,